फर्द अहकाम

बद्री बनाम देवनारायण

यायालय

संख्या 151/2024

ख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	13/6/2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब के सम्बन्ध में पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तलब अभियोगान को जारी होकर दिनांक 13/6/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	नोटिस जारी 4067-72 14/6/24
	13/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण एवं एस.डी.एम. की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अभियोग की पत्रावली कालबद्धी अन्तर्गत लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 20/6/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	20/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी डी.पी. युक्त पत्रावली के साथ वास्ते बहस प्रार्थना पत्र 039 CPC हेतु दि० 26/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	26/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस प्रार्थना पत्र [illegible] गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] स्वीकार किया [illegible] के पक्ष में। [illegible] दिये जाते हैं पत्रावली [illegible] दर्ज रजिस्टर से नाम ही पक्ष प्रार्थी का निकाला रहे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:27:08 IST
Reason: SelfAttested